न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर
पीठासीन अधिकारी –डॉ0सूरज सिंह नेगी

प्रार्थना पत्र संख्या 17/2021 तारीख रजू 17.02.2021

1. सरकार जरिये तहसीलदार (लैण्ड होल्डर) खण्डार

..........प्रार्थी

बनाम

1. कमलेश पुत्र कैलाश जाति गूजर निवासी ग्राम गण्डायता तह0 खण्डार
2. मौसमी पत्नि कमलेश जाति गूजर निवासी ग्राम गण्डायता तह0 खण्डार

......अप्रार्थीगण

निर्णय दिनांक 27/12/22

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) तहसीलदार (भू.अ.) खण्डार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 के विरूद्व प्रस्तुत किया गया जिसके द्वारा अप्रार्थीगण कमलेश पुत्र कैलाश जाति गूजर निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार, मौसमी पत्नि कमलेश जाति गूजर निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 177/46 रकबा 3.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता में आदेश दिनांक 24/06/2002 द्वारा आवंटन किया गया था। अप्रार्थी को आवंटितशुदा खसरा नम्बर 177/46 रकबा 3.00 बीघा पर भू.अ. निरीक्षक वृत बहरावण्डाकलां व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं होने व कभी आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा नहीं होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने के कारण आवंटन को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण की तलबी जरिये नोटिस की गयी। अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित आए। अदालत मातहत से मूल पत्रावली प्राप्त। प्रार्थना पत्र पर बहस सुनी गयी।

वकील पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित कर बहस में तर्क दिया कि अप्रार्थीगण को आवंटितशुदा भूमि ख0न0 177/46 रकबा 3.00 बीघा पर भू.अ.निरीक्षक वृत बहरावण्डाकलां व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार आवंटी का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है। पुनःश्च पैरोकार सरकार ने अपनी बहस में तर्क दिया कि खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी हुई है जिससे यह साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थीगण का आवंटितशुदा भूमि पर कब्जा नहीं है। अतः वकील पैरोकार सरकार द्वारा आवंटन सलाहकार समिति द्वारा पारित आवंटन आदेश दिनांक 24.06.2002 को निरस्त करने हेतु निवेदन किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:35 IST
Reason: SelfAttested

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस तर्क दिया कि उनके पक्षकार को आराजी खसरा नम्बर 177/46 रकबा 3.00 बीघा किस्म बारानी–ए वाके ग्राम गण्डायता में आदेश दिनांक 24/06/2002 को आवंटन किया गया था। उनका पक्षकार जमाबन्दी सम्वत् 2078 के अनुसार ख0नं0 177/46 रकबा 3.00 बीघा पर काश्तकार के रूप में काबिज है। पटवारी हल्का जैतपुर द्वारा गलत फर्द मौका तैयार कर पेश किया गया है। अन्त में वकील अप्रार्थी द्वारा तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र महज टाईपशुदा फॉर्मेट पर बिना मौके की जाँच किये कार्यवाही करना बताते हुये प्रार्थना पत्र को खारिज करने हेतु निवेदन किया गया।

प्रकरण में उभय पक्ष की बहस सुनी गयी एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। तहसीलदार खण्डार से प्राप्त प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार अप्रार्थीगण कमलेश पुत्र कैलाश जाति गूजर निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार, मौसमी पत्नि कमलेश जाति गूजर निवासी ग्राम गण्डायता तहसील खण्डार को आराजी खसरा नम्बर 177/46 रकबा 3.00 बीघा वाके ग्राम गण्डायता आवंटित किया गया था। भू.अ.निरीक्षक वृत बहरावण्डाखुर्द व पटवारी हल्का जैतपुर की रिपोर्ट दिनांक 07.01.2021 के अनुसार अप्रार्थीगण का मौके पर कब्जा काश्त नहीं है एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज खसरा गिरदावरी सम्वत 2074–77 के अनुसार भूमि मौके पर पड़त पडी होना अंकित किया है लेकिन खसरा गिरदावरी सम्वत सम्वत 2078 का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि उक्त आवंटित शुदा भूमि काश्त की जा रही है अतः प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में तहसीलदार द्वारा आवंटी के कब्जा काश्त नही होने तथा आवंटन शर्तों की पालना नहीं किये जाने संबधी रिपोर्ट निराधार प्रतीत होती है। इसके अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन करने पर यह पाया जाता है कि प्रार्थना पत्र एक पूर्व निर्धारित प्रपत्र पर खाली स्थानों में महज आवंटी की सूचनाएँ बदल – बदलकर बिना मौके की स्वयं द्वारा जाँच किये हुये अपूर्ण स्थिति में भिजवाये गये है। अतः तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थना पत्र सारहीन पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर तहसीलदार खण्डार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14(4) सारहीन होने के कारण तहसीलदार खण्डार को प्रतिपेषित किया जाकर आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम गण्डायता के आराजी खसरा नम्बर 177/46 रकबा 3.00 बीघा की स्वयं मौका देखकर अगर आवंटी द्वारा आवंटन शर्तों की पालना नहीं की जाने तथा आवंटी के आवंटित शुदा भूमि पर कब्जा काश्त नहीं होने की स्थिति में निर्धारित प्रपत्र पर पुनः नये सिरे से प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत करें।

निर्णय आज दिनांक 27/12/22 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dr. Suraj Singh Negi
Date: 2023.08.04 11:59:35 IST
Reason: SelfAttested

(डॉ0सूरज सिंह नेगी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर
सवाई माधोपुर